149/21

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

जीसीएमएस : 2021/336

149/2021
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर श्रीगंगानगर । –:वादी

बनाम

कृष्ण बलदेव पुत्र लाभचन्द जाति अग्रवाल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
–:प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177–209–92क राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 04.08.2021

उपस्थितअधिवक्तागण
राजपैरोकार सरकार ।
श्री जितेन्द्र कुमार सोनी, गणेश लोहरा अधि. प्रति.सं. 1

दिनांक – 19.06.2025

–: निर्णय :–

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी भूमिस्वामी/भूमिधारक है तथा वादी को वादग्रस्त भूमि पर हर प्रकार की विधिक शक्तियां प्राप्त है। प्रतिवादी के नाम चक 11 टी के तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 26 पं.नं. 204/295 के कि.नं. 17/1 में 0.064, 18/1 में 0.063, 19/1में 0.063है, .20/0.048 है. कुल 0.238 है.बारानी भूमि है। वादग्रस्त भूमि का वादी भूस्वामी है तथा राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी को उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है जिसके तहत प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि पर वादग्रस्त भूमि पर कृषि एवं कृषि से संबंधति कार्य करने के विस्तृत अधिकार मिले है। प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य ना करते हुए अकृषि कार्य किया जा रहा है और इसे व्यवसायिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है व मौका पर दुकान/उद्योग बना/ चला रखे है प्रतिवादी का यह कृत्य विधि विरूद्व है। वादी के द्वारा जन कल्याणकारी उदेश्य के तहत भरपुर खद्यान्न उत्पन्न करने हेतु ज्यादा से ज्यादा कृषि योग्य भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जा रहे है ताकि आमजन को भरपुर खद्यान्न मिल सके तथा ज्यादा से ज्यादा कृषि उपज हो सके इसी उदेश्य के तहत प्रतिवादी को भी वादग्रस्त भूमि पर कृषि एवं उससें संबंधित कार्य करनें हेतु खातेदारी अधिकार दिये थे और इसी अधिकार को प्रदान करते प्रतिवादी एवं वादी के मध्य विधि के तहत कृषि कार्य करने हेतु शर्त भी तय हुई थी जिनकी पालना प्रतिवादीगण द्वारा नहीं की गई है। प्रतिवादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कृषि से अन्य कार्य किये जा रहे है जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व है। अगर प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य के अलावा अन्य आवासीय एवं वाणिज्यिक कार्य के रूप में प्रयोग करना था तो यह भूमि का कृषि से अकृषि अथवा भूमि आवासीय अथवा वाणिज्यिक करवाकर प्रयोग में ले सकता है परन्तु प्रतिवादी द्वारा राजस्व को हानि पहुंचाने के उदेश्य से एवं स्वयं को लाभ पहुंचाने के उदेश्य से उपरोक्त वादग्रस्त रकबा की किस्म परिवर्तन करवाया बिना गैर कानूनी रूप से प्रयोग किया जा रहा है अतः वाद–वादी विरूद्व प्रतिवादी पेशकर निवेदन है कि वाद –वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे। कि चक 11 टी के तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 26 पं.नं. 204/295 के कि.नं. 17/1 में 0.064, 18/1 में 0.063, 19/1में 0.063है, .20/0.048 है. कुल 0.238 है.बारानी भूमि की खातेदारी निरस्त कर सिवाय चक दर्ज करने एवं प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को सौपने के आदेश प्रदान किया जावें।

2. वादी के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर कर सम्बंधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार सोनी व श्री गणेश लोहारा अधिवक्ता ने हाजिर होकर वकालतनामा पेश किया है व जबाव दावा दिनांक 19.06.2025 को प्रस्तुत किया कि उक्त प्रश्नगत रकबा पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया तथा मौका पर उक्त रकबा खाली है। अन्य तथ्य अस्वीकार किये है। उक्त रकबा में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न होने से सम्बधित तहसीलदार राजस्व महोदय रायसिंहनगर की रिपोर्ट सलंग्न पत्रावली है। तथा कथन

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:30:23 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

199/21

किया कि मेरे नाम से चक 11 टी के तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 26 पं.नं. 204/295 के कि.नं. 17/1 में 0.064, 18/1 में 0.063, 19/1में 0.063है, .20/0.048 है. कुल 0.238 है.बारानी भूमि खातेदारी है जिसमें मेरे द्वारा काश्त की जा रही हैं। आज मौका पर ही फसल काश्त है उक्त भूमि पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा निर्माण दिखाते हुए इस न्यायालय में दावा पेश किया गया। जो मेरे को परेशान करने के लिए गलत पेश किया गया है। उक्त भूमि शहर के नजदीक की भूमि है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए तहसीलदार द्वारा मुझे परेशान करने के लिए उक्त दावा व अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो गलत किया है। उक्त प्रश्नगत भूमि पर आज ही मौका पर मेरी फसल काश्त है। अतः आप से निवेदन है कि उक्त प्रकरण को नजदीक तारीख पेशी में लेकर सुनवाई कर खारिज फरमाया जावें ।

प्रतिवादी के अधिवक्ता के मौखिक कथन के आधार पर इस न्यायालय के मोखिक आदेश अनुसार पुनः रिकार्ड की सूचना भिजवाने हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेश दिये गये। तहसीलदार रायसिहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/912 दिनांक 13.06.2025 से अवगत करवाया कि उक्त रकबा पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय रायसिंहनगर के प्रकरण संख्या 124/2021 दिनांक 04.08.2021 द्वारा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन है तथा जमाबंदी में स्थगन का नोट अंकित है। उक्त रकबा में मौका पर सड़क बनी हुई व अन्य व कोई निर्माण आदि नहीं हैं । मुताबिक खसरा गिरदावरी संवत 2080 व 2081 फसल काश्त दर्ज नहीं है।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तागण वाद– पत्र अन्तर्गत धारा 177–209–92 ए राज. का० अधि.पर सुनी गई। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध भूमि के संबंध में तहसीलदार रायसिंहनगर ने अवगत भी कराया है कि मौके पर कोई निर्माण नहीं है बल्कि सड़क का निर्माण है , मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत् 2080 व 2081 में फसल काश्त दर्ज नहीं है। अतः धारा 177–209–92 ए का उद्देश्य काश्तकार को भूमि से बेदखल करना नहीं है अपितु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। इस भूमि को रकबा राज किया जाना कठोर कार्यवाही होगी।

5. अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177–209–92 ए आरटीएक्ट इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अगर अप्रार्थी/ प्रतिवादी द्वारा बिना भू. रूपान्तरण करवाये भूमि का टुकड़ों मे बेंचान व निर्माण कार्य करता है तो तहसीलदार रायसिंहनगर पुनः इस वाद पत्र/प्रार्थना पत्र को रिस्टोर करवाकर आगामी कार्यवाही करे। अप्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि बिना संपरिवर्तन करवाये भूमि का भू. उपयोग परिवर्तन नहीं करे। टुकड़ो/प्लाटों में बेचान नहीं करें।

–:आदेश:–

त विवेचन व शर्ताधीन वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 177–209–92 ए आरटीएक्ट इस शर्त के साथ रेज किया जाता है कि अगर अप्रार्थी द्वारा बिना भू. रूपान्तरण करवाये भूमि का टुकड़ों मे न व निर्माण कार्य करता है तो तहसीलदार रायसिंहनगर पुनः इस वाद पत्र/प्रार्थना पत्र को टोर करवाकर आगामी कार्यवाही करे। अप्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि बिना संपरिवर्तन वाये भूमि का भू.उपयोग परिवर्तन नहीं करे। टुकड़ो/प्लाटों में बेचान नहीं करें। इसी आश्य पर्चा डिक्री जारी हो।

र्णय आज दिनांक 19.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 15:30:23 IST
Reason: SelfAttested

149/21

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास :सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

जीसीएमएस : 2021/336

149/2021
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर श्रीगंगानगर ।
—:वादी

बनाम

कृष्ण बलदेव पुत्र लाभचन्द जाति अग्रवाल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177–209–92क राज0 काश्त0 अधि0 1955

—: निर्णय :— दिनांक — 19.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी राजपैरोकार, श्री जितेन्द्र कुमार सोनी व श्री गणेश लोहारा अधिवक्ता प्रतिवादी पेश होकर हुकम दिय जाता है एवं डिक्री की जाती है धारा 177–209–92 ए आरटीएक्ट इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अगर अप्रार्थी द्वारा बिना भू. रूपान्तरण करवाये भूमि का टुकड़ों मे बेंचान व निर्माण कार्य किया जाता है तो तहसीलदार रायसिंहनगर पुनः इस वाद पत्र/प्रार्थना पत्र को रिस्टोर करवाकर आगामी कार्यवाही करे। अप्रार्थी/प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि बिना संपरिवर्तन करवाये भूमि का टुकड़ो/प्लाटों में बेचान नहीं करें।

डिक्री आज दिनांक 19.06.2025 को जारी की गई।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 15:30:23 IST
Reason: SelfAttested